भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2872
दिनांक 22-03-2005/ 1 चैत्र, 1927 (शक) को उत्तर के लिए

बोडो भाषा

2872. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी कार्यों के लिए बोडो भाषा के प्रयोग को आसान बनाने हेतु पहल की है क्योंकि इस भाषा को वर्ष 2003 में संसदीय अधिनियम द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में पहले ही शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम बठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री **(श्री माणिकराव गावीत)**

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 345 में किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार करने संबंधी प्रावधान है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न के (क) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।